भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 663

(दिनांक 06.12.2023 को उत्तर के लिए)

उच्च स्तर पर आरक्षित रिक्त पद

663. श्री मलूक नागर:

श्री रितेश पाण्डेयः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के सभी विभागों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु रिक्त पड़े आरक्षित उच्च-स्तरीय पदों की संख्या का विभाग-वार और समूह-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा उक्त रिक्तियों को भरने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा में रिक्त पदों को भरने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के विभागों में रिक्त पदों को भरने और पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या समय-सीमा अपनाई गई है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ): रिक्तियों का होना और उनको भरना एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान करने, ऐसी रिक्तियों के मूल कारण का अध्ययन करने, ऐसी रिक्तियों को उत्पन्न करने वाले कारकों को दूर करने हेतु उपाय आरंभ करने और उन्हें विशेष भर्ती अभियानों के माध्यम से भरने के लिए एक आंतरिक (इन-हाउस) समिति गठित करने हेतु अनुदेश जारी किए गए हैं।

केन्द्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को उप सचिव और उससे ऊपर के स्तर के किसी अधिकारी को आरक्षण से संबंधित आदेशों और अनुदेशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामित करना अपेक्षित है। इसके अलावा, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को सम्पर्क अधिकारी के सीधे नियंत्रण में एक विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना करना भी अपेक्षित है, जो कि कर्तव्य निर्वहन में उनका सहयोग करेगा। अनुदेशों के कार्यान्वयन का समय-समय पर अनुवर्तन किया जाता है तथा पथ-प्रदर्शक कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।